

उलंघन पत्र

रजि.ए .डी.



भारत सरकार

खान मंत्रालय

भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर

दूसरी मंजील, जीएसआई फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र

महालेखाकार आफिस कोम्प्लेक्स, पोस्ट -विधान सभा- रायपुर- (छ.ग)-492005

फोन- 0771-2282530/2285590/95 मेल- ro.raipur.ibm@gmail.com

No- CHG/RPR/LST-62/Raipur /143

दिनांक -01/07/2021

प्रेषित- श्री रिपुसूदन वर्मा, खान मालिक

Email:yugal2504@gmail.com

भटभेरा चूना पत्थर खान,

पोस्ट - सुहेला, तहसील - सुहेला,

जिला. बलोदा बाज़ार, छत्तीसगढ़ - 493195

विषय- छत्तीसगढ़ राज्य के बलोदा बाज़ार जिले में स्थित आपकी भटभेरा चूना पत्थर खान(Area 4.808 हे.) में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उलंघन के संबंध में-

महोदय

The following provisions of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated during inspection of the above mine on 25.06.2021 by undersigned accompanied by Shri Ripusudan Verma, Mine Owner.

Rule	Nature of Violation observed
11(1)	Mining operations should have been undertaken in accordance with the approved Mining Plan. The Modified Mining Plan was approved vide letter no. बलोदा बाज़ार / चूप /खयो-11060/2016-रायपुर dated 21.12.2016 and following deviation was observed during inspection for year 2020-21 1. There was a proposal of Limestone production of 104500 tons but against which production is nil. 2. The proposal of afforestation is given 200 nos saplings but actual is nil.
45(5)(b) (i)	a monthly return which shall be submitted before the tenth day of every month in respect of the preceding month in electronic form along with a signed print copy of the same if it is not digitally signed, in the respective form F1 but monthly return for May'21 is not submitted.
45(5)(c) (i)	While scrutiny of Annual returns 2020-21 it was observed that In Part I the information about Geologist is given while in Part II For Geologist it is mentioned Nil. The information in Part V for Reserves/resource is mentioned as Nil. Dead Rent, Royalty fig is mentioned as nil. Fixed asset mentioned as nil and information of 3 excavators given.

- 2 इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। एवम इस नियम का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) एवम 45(7)(क) के अंतर्गत
(क) खान की सारी खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिस राज्य सरकार से की जा सकती है।
- 3 अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशिघ्र सुधार करें एवम इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

R.14
5/7/21
जारी किया गया/ISSUED

भवदीय

राजेश कुमार दास
21/07/2021

(राजेश कुमार दास)

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

o/c

प्रतिलिपि – for information please

- 1 खान नियंत्रक(मध्य), भारतीय खान ब्यूरो , नागपुर
- 2 संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ

o/c

24/07/2021

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर